न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. भैरू पिता हीरा गुजर निवासी अडसीपुरा तहसील सहाड़ा।
2. नन्दुदेवी पत्नि रूघनाथ जाट निवासी बाजिया की खेडी तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
3. सोहनी पुत्री हीरा गुजर निवासी अडसीपुरा तहसील सहाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयराम पिता मांगु गुजर
2. भागीरथ पिता मांगु गुजर

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

3. कंकु पुत्री मांगु पत्नि मनरूप गुजर निवासी हाल खेपडा का खेड़ा तहसील माण्डल।
4. मु0 नोसी पुत्री मांगु गुजर पत्नि माधु गुजर निवासी तौलास, तहसील रायपुर।
5. मु0 गणी पुत्री मांगु गुजर पत्नि भैरू गुजर निवासी हाल चान्दरास तहसील माण्डल।
6. मु0 जडाव पुत्री मांगु पत्नि जवाहरलाल गुजर निवासी भालडीखेड़ा तहसील माण्डल।
7. उदयलाल पिता रामा गुजर निवासी अडसीपुरा तहसील सहाड़ा।
8. पारसी पुत्री रामा गुजर पत्नि मदनलाल गुजर निवासी हाल सुण्डा का खेड़ा तहसील सहाड़ा।
9. रतनी पुत्री रामा गुजर नाबालिग बविलायत जरिये माता नारायणीदेवी पत्नि रामा गुजर।
10. नारायणी देवी पत्नि रामा गुजर निवासी अडसीपुरा तहसील सहाड़ा।
11. गोकल पिता जवाहरमल गुजर निवासी माता मंगरी अडसीपुरा तहसील सहाड़ा।
12. शंकर पिता उदयराम जाट
13. रंगलाल पिता उदयराम जाट
14. जगदीश पिता उदयराम जाट
15. सोनी पत्नि मांगु गुर्जर

सर्व निवासी अडसीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:— 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम अडसीपुरा पटवार हल्का चीडखेडा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 601 रकबा 0.07 हे0 602 रकबा 0.16 हे0 603 रकबा 0.35 हे0 604 रकबा 0.13 हे0 619 रकबा 0.60 हे0 620 रकबा 0.26 हे0 621 रकबा 0.01 हे0 622 रकबा 0.35 हे0 623 रकबा 0.30 हे0 भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 2.23 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 440 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः 02

प्रकरण संख्या :– 12/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अडसीपुरा पटवार हल्का चीडखेडा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 601 रकबा 0.07 हे0 602 रकबा 0.16 हे0 603 रकबा 0.35 हे0 604 रकबा 0.13 हे0 619 रकबा 0.60 हे0 620 रकबा 0.26 हे0 621 रकबा 0.01 हे0 622 रकबा 0.35 हे0 623 रकबा 0.30 हे0 भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 2.23 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,100– (एक हजार एक सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1,100– (एक हजार एक सौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सी0एल0शर्मा)
गंगापुर, भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)